

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—३४ / २०२०

पंकज सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

..... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री कृपा शंकर नंदा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री राकेश रंजन, ए०पी०पी०।

०२ / १५.०१.२०२० श्री कृपा शंकर नंदा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री राकेश रंजन, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्ता को रायडीह थाना काण्ड संख्या ५१ वर्ष २०१९ के संबंध में एक आरोपी बनाया गया है।

माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कैश में डकैती करने का प्रयास किया गया था। याचिकाकर्ता को पकड़ लिया गया और एक देशी लोडेड पिस्टौल भी बरामद किया गया।

याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति के संदर्भ में, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। याचिकाकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना इस स्तर पर खारिज कर दी गई है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)